

गोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क 2411-दस-2-83.—चूंकि राज्य शासन का यह विश्वास है कि नीचे वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा अन्य विस्तार तथा निवारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है;

अनुसूची, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सं. 1972) के धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को पनपथा अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—शहडोल

मंडल—उमरिया

परिसर—पनपथा

क्षेत्र का नाम—पनपथा

अभयारण्य का क्षेत्रफल—245.842 वर्ग किलोमीटर.

सीमा

उत्तर.—पिटौर ग्राम के निम्न हलकल नाले से आरंभित वन खंड कुडिया की सीमा, सोजवाही आरंभित वन खंड की सीमा तक. कुडिया एवं सोजवाही आरंभित वन खंड की सीमा ताला-पनपथा, डामर रोड की पार करके हुये जखवाही नाले तक तथा जखवाही नाले के साथ-साथ कुदरी आरंभित वन खंड की सीमा के मिलान तक, सोजवाही तथा कुदरी आरंभित वन खंड की सीमा से कुदरी आरंभित वन खंड की सीमा मिलान तक. सोजवाही आरंभित वन खंड की सीमा गंजोहरा आरंभित वन खंड की सीमा के मिलान तक. गंजोहरा आरंभित वन खंड की सीमा प्रोन नदी के मिलान तक सोन नदी के पश्चिमी तट से कट लाइन सोन नदी के पूर्वी तट तक.

सोन नदी के पूर्वी तट पर उत्तरी सीमा के मिलान से कट लाइन नदी के पूर्वी तट से दक्षिण की ओर सोजवाही आरंभित वन खंड की सीमा से आई कट लाइन तक.

दक्षिण.—सोन नदी के पूर्वी तट पर पूर्वी सीमा के मिलान से कट लाइन नदी के पश्चिमी तट पर सोजवाही आरंभित वन खंड की सीमा के मिलान तक, सोजवाही आरंभित वन खंड की दक्षिणी सीमा सोन नदी के तट से गुरुवाही आरंभित वन खंड की सीमा के मिलान तक. तनपरवात गुरुवाही आरंभित वन खंड की दक्षिण सीमा होना. मुख्य के उत्तर में बगैरा नाला के मिलान तक. बगैरा नाला के मिलान से बगैरा नाला के किनारे-किनारे कट लाइन राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ की सीमा तक. राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ की उत्तरी सीमा के साथ कट लाइन राष्ट्रीय उद्यान 384 के मिलान तक.

पश्चिम.—डोमा आरंभित वन खंड की सीमा जबलपुर जिला सीमा तक, शहडोल तथा जबलपुर जिले की सीमा के मिलान तक, गंगा संरक्षित वन खंड की सीमा के मिलान तक, गंगा संरक्षित वन खंड की सीमा के आरंभित वन खंड के मिलान तक, कुडिया आरंभित वन खंड की सीमा उत्तर की ओर हलकल नाला छोड़ने तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव

गोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क 2411-दस-2-83.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के खण्ड (3) के अनुसार मध्य प्रदेश विधान की प्रविष्टि क 2411-दस-2-83, दिनांक 4 जून 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एनडू द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव

Bhopal, the 4th June 1983

No. 2411-X-2-83.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate significance for the protection, propagation and development of wild life and its environment hence under the powers vested under section 18(1) of the Indian Wild life Protection Act, 1972 (53 of 1972); the State Government declares the area shown in the Schedule below as Panpatha Sanctuary:—

SCHEDULE

District—Shahdol

Division—Umaria

Range—Panpatha

Name of the Sanctuary—Panpatha

Area—245.842 sq. km.

Boundaries

North.—From Halsal nala near Pitor village to the boundary of R. F. block Kudia up to the boundary of R. F. block Sejawahi. From the junction of Kudia and Sejawahi R. F. block up to the boundary of Sejawahi block after crossing the Tala Panpatha tar macadam road up to Jarwah

कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 1982

क्र. डी-15-41-82-चौदह-3(ए).—मध्य प्रदेश अधिनियम, 1972 (24 जून 1973) की धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित स्थानों पर मण्डी क्षेत्रों को कोर्सी संरचना, प्रस्तावित, प्राप्त करने के जहाँ कि इस विभाग की अधिनियम क्र. 42/1972 दिनांक 24 जून 1970 द्वारा मण्डी स्थापित की गई घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

सिवनी जिले की सिवनी तहसील के मंडिया ग्राम 38115, की लगभग 2.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्र जो

उत्तर में—खसरा नं. 38111, की जेप रकबत में,

दक्षिण में—वाजार चौक एवं पी. डब्ल्यू. ई. की जेप

पूर्व में—इसी भूमि के जेप रकबत में,

पश्चिम में—इसी भूमि के जेप रकबत में, आवद्ध है.

मध्य प्रदेश के राजपत्र के नाम में तथा मंडिया एम. एस. अधिनियम

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 1982

क्र. डी-15-41-82-चौदह-3(ए).—मध्य प्रदेश अधिनियम क्र. 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत, इस विभाग की अधिनियम क्र. डी-15-41-82-चौदह-3(ए), दिनांक 8 दिसम्बर 1982 के अन्तर्गत राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा घोषित जाता है.

मध्य प्रदेश के राजपत्र के नाम में तथा मंडिया एम. एस. अधिनियम

Bhopal, the 8th December 1982.

No. D-15-41-82-XIV-III(A).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (1973), the State Government hereby declares that with effect from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" the following place including any structure, enclosure, open place or locality in the market area in which a market has been established

nala and along with Jarwahi nala up to the junction of Kudia R. F. block from the junction of Sajwahi and Kudia R. F. block up to the boundary of Kudri R. F. block and the junction of Sajwahi R. F. block boundary of Sajwahi R. F. block up to the junction of Ganjehara R. F. block, boundary of Ganjehara R. F. block up to the junction of Son river and then cut line from the western bank of Son river to the eastern bank of Son river.

East.—From the eastern bank of Son river where the northern boundary meets a cut line from the eastern bank of the river towards south up to the point where it meets the cut line coming from Sejawahi R. F. block.

South.—On the eastern bank of Son river where it meets the eastern boundary a cut line on the western bank of the river up to the point where it meets the boundary of Sejawahi R. F. block. Southern boundary of Sejawahi R. F. block from the bank of Son river up to the meeting point of Guruwahi R. F. block boundary then southern boundary of Guruwahi R. F. block on north of Dobha village up to the junction of Bagaiha nala, from the junction of Bagaiha nala along the bank of Bagaiha nala a cut line upto the boundary of Bandhavgarh National park, northern boundary of Bandhavgarh N. P. up to the junction of Compartment No. 383 and 384.

West.—Boundary of Dobha R. F. block up to the Jabalpur district boundary line, joint boundary of Shahdol and Jabalpur district up to the junction of Charanganga P. F. block towards north upto the junction of Kudia R. F. block boundary line, boundary of Kudia R. F. block towards north till it lives Halfal nala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. B. LAL, Dy. Secy.